

ग्रामपालिका उप जिला कलक्टर टांडाभीम

फर्द अहकाम

गुंन 14/18 तारीख रज् 20-3-18

उगवान - सुमेर वनाम सवाईसिंह को ग्रामदपुर

प्रार्थना पत्र आख्यायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुशचन्द्रशर्मा एडवोकेट ने प्रार्थनापत्र आख्यायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक तरफा वहस सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामल प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः जैरसायलानको अन्तरिम आख्यायी निषेधाज्ञा से पावन्ड किया जाता है कि ग्राम महमदपुर के खजाने

86/1825, 151, 152, 158, 159, 164/1840, 805 कुल कित्ता 7
0.03, 0.20, 0.18, 0.11, 0.32, 0.14, 1.29 कुलरकवा 2.27 है व ज्वाता सं 63 के खजाने 147 रकवा 0.40 है
ज्वाता सं 19 के ख. नं 843, 844, 845, 861/1939, 866/1940
871, 893, 1010/2145, 1131, 1237 कुल कित्ता 10 कुलरकवा
0.77, 0.08, 0.04, 0.97, 0.29 कुल कित्ता 10 कुलरकवा 3.33 है एवं ज्वाता सं 237 के ख. नं 102, 103, 104, 105
106, 107, 108, 110, 111 कुल कित्ता 10 कुलरकवा 4.38 है

सुमि की आगामी पेशी तक रहन व्यय नहीं करे। प्रार्थना पत्र दज रजिस्ट्रकर अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस से तलब कर कि 25-4-18 को पेश हो।


जबदीन आंस
अधिकाक्षक
सेटापी

957-63
20-3-18
1/17
लि

25.4.18
प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 2, 3, 6, 7 सबजूद दरपना उपन नहीं है अप्रार्थी नं. 1 ने नोटिस लेने सहमत किया की अप्रार्थी नं. 4, 5 के नोटिस आरमतामील प्राप्त हुए है। चीठाहीन अधिकाक्षी अवकाश पर की वाले इतिम आदेश के तहत महमदपुर में नदि 17.5.18 को पेश हो।

उत्तर 10
जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है तो उसे कहते हैं कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है।

उत्तर 11
जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है तो उसे कहते हैं कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है।

उत्तर 12
जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है तो उसे कहते हैं कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है।

उत्तर 13
जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है तो उसे कहते हैं कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है।

उत्तर 14
जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है तो उसे कहते हैं कि हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है।